

## कर्मचारी चार्टर/घोषणा पत्र - रेल मंत्रालय

क्रम सं.	मद	समय सीमा	
1	कर्मचारी की शिकायतों का निपटारा/विभिन्न मंचों पर प्राप्त आवेदन जैसे एकल खिड़की, सीपीजी आरएएम, निवारण (पुनर्नियतन, वरिष्ठता, एम.ए.सी.पी., बकाया, प्रोन्नति आदि के मामलों सहित)	आवेदन प्राप्त होने के तीस कार्य दिवसों के अंदर	
2	मंडल रेल प्रबंधक से व्यक्तिगत मुलाकात	उसी दिन (यदि मंडल रेल प्रबंधक उपलब्ध न हों तो अपर मंडल रेल प्रबंधक यह कार्य देखेंगे)	
3	अनुकंपा नियुक्ति	मंडल स्तर पर निपटाए वाले मामले	90 दिन
		प्रधान कार्यालय की अनुमति वाले मामले	मंडल में 60 दिन + प्रधान कार्यालय में 30 दिन
4	निपटारा बकाए का भुगतान	अधिवर्षिता - सेवानिवृत्ति के दिन	
		स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/मृत्यु/त्याग पत्र - 60 दिन (केवल अविवादित मामलों के लिए)	
5	चयन एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नति	पिछली नामिका के जारी होने के एक वर्ष के अंदर	
6	पारस्परिक स्थानांतरण के साथ निजी अनुरोध के स्थानांतरण वाले मामलों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र	आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर निपटाया जाए (आवेदन के अग्रेषित करने या अस्वीकृत करने का, जैसा भी मामला हो)	
7	आर.आर.बी. तथा आर.आर.सी. से चयनित उम्मीदवारों को बुलावा पत्र भेजना (सत्यापन को शामिल करते हुए)	नामिका के तैयार होने के 30 दिन के अंदर	
8	a) विभिन्न प्रकार के अग्रिम/कर्ज के लिए अनुमोदन b) अनुमोदन के बाद अग्रिम/कर्ज के बकाया हेतु भुगतान	07 कार्य दिवसों के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाए । अगले बिलिंग चक्र में वेतन के साथ (जैसा भी उपयुक्त हो)	
9	भविष्य निधि निकासी	आवेदन प्राप्ति के 07 कार्य दिवसों के अंदर प्रशासनिक अनुमोदन दिया जाए । अनुमोदन की तिथि से 07 दिनों के अंदर भुगतान किया जाए ।	
10	भविष्य निधि विवरण पत्र का जीरी करना	उसी दिन	

क्रम सं.	मद	समय सीमा	
11	सेवा रिकार्ड की समीक्षा	वर्ष में एक बार	
12	उच्च शिक्षा, संपत्ति क्रय-विक्रय, पासपोर्ट प्रतिनियुक्ति हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र	जहाँ विजिलेंस जांच आवश्यक न हो वहाँ आवेदन प्राप्त के 14 दिन के अंदर तथा दूसरे मामलों में 30 दिन के अंदर	
13	डीएआर मामलों को निपटाना	बड़े मामले - 150 दिन छोटे मामले - 31 दिन	
14	पास/पी.टी.ओ. जारी करना	एक कार्य दिवस	
15	CTG/OT/TA की स्वीकृति तथा भुगतान	कर्मचारी द्वारा दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिनों के अंदर स्वीकृति दी जाए आगले बिलिंग चक्र में वेतन के साथ (जैसा भी उपयुक्त हो) अदायगी करें ।	
16	कर्मचारियों को आवश्यक सुख-सुविधाओं को प्रदान करना	जहां 05 से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हों वहां प्रसाधन और चेंजिंग कक्ष उपलब्ध कराना	मार्च 2018 तक
		स्टेशन सहित कार्यालय की बिल्डिंग की सफेदी करना	प्रति वर्ष
		चिन्हित/नामित कार्यालयों हेतु फिल्टर्ड वाटर	इस अधिकार पत्र के जारी होने के 60 दिन के अंदर
		चिन्हित/नामित कार्यालयों में पंखों और डेजर्ट कूलरों की व्यवस्था करना	इस अधिकार पत्र के जारी होने के 60 दिन के अंदर
		निर्धारित नियमों के अनुसार कंप्यूटर और इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना	इस अधिकार पत्र के जारी होने के 6 माह के अंदर
17	छुट्टी हेतु आवेदनों का निपटारा	a) आकस्मिक छुट्टी - 1 कार्य दिवस b) औसत वेतन छुट्टी/मातृत्व छुट्टी/पितृत्व छुट्टी - 7 कार्य दिवस c) एक्स इंडिया - 30 कार्य दिवस	
18	वरिष्ठता सूची जारी करना	वर्ष में एक बार	